DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Indrawati Bhavan, Block-3, 3rd /4th Floor Nawa Raipur, Atal Nagar- 492002
इन्द्रावती भवन, ब्लाक-3 तृतीय/चतुर्थ-तल, नवा रायपुर, अटल नगर. 492002
Phone : 0771- 2331331, 2221376, Fax : 0771-2253620, Website : cgdteraipur.cgstate.gov.in

क्रमांक/2021-22/ए-03/शैक्ष/ऑनलाईन कॉउसिलिंग/2769 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15 /09/2021

प्रति,

प्राचार्य/संचालक
समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक संस्थायें,
फार्मेसी संस्थायें, मैनेजमेन्ट संस्थायें, एम.सी.ए.संस्थायें, आकिटेक्चर संस्थायें, छत्तीसगढ़।

विषयः- सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन कॉउसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत विवरण।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 9-14/2021/तक.शि./42, अटल नगर, दिनांक 14.09.2021 द्वारा सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन कॉउसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत विवरण में प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

1. तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा फॉर्मेसी, डिप्लोमा मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट (MOM), डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग (CDDM), डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन (ID), डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिग टेक्नोलॉजी(HMCT), डिप्लोमा आर्किटेक्चर, एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.फॉर्मा, एम.टेक., बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेटरल एण्ट्री, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी लेटरल एण्ट्री एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एण्ट्री इत्यादि पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन कॉउंसिलिंग की जायेगी।
2. छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा दिनांक 16.07.2021 को **"छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थानों हेतु प्रवेश नियम 2021"** जारी किए गए है। उक्त नियम संचालनालय की वेबसाईट www. cgdteraipur.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी के पास संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम के बिंदु क्रमांक 6.1 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता होना अनिवार्य है।
3. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा अर्हकारी परीक्षा के मेरिट के आधार पर प्रवेश नियम के बिंदु क्रमांक 7.2 के अनुसार किया जायेगा।
4. प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाईन कॉउंसिलिंग की समय-सारणी की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी तथा संचालनालय की वेबसाईट www. cgdteraipur.cgstate.gov.in पर उपलब्ध की जायेगी।
5. संचालनालय की वेबसाइट पर समस्त संस्थाओं की सूची, संस्थाओं की फीस की जानकारी, प्रवेश नियम, काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध की जायेगी।
6. नक्सल प्रभावित सरगुजा एवं बस्तर संभाग में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश हेतु संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को प्रवेश नियम के बिंदु 7.3 के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात सीट रिक्त रहने पर संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सीट आबंटित की जाएगी। फिर भी सीट रिक्त रहने पर काउंसिलिंग के मुख्य चरण में राज्य के समस्त जिलों के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा सीट भरी जायेगी।
7. समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आनलाईन कांउसिलिंग के सामान्यतः दो गुख्य चरण एवं संस्था स्तर की आनलाईन कॉउंसिलिंग का एक चरण होगा। आवश्यकता एवं समयानुसार आनलाईन कांउसिलिंग के दो से अधिक मुख्य चरण एवं संस्था स्तर की आनलाईन कॉउंसिलिंग के एक से अधिक चरण का आयोजन किया जा सकेगा।
8. पाठ्यक्रम विशेष की कॉउंसिलिंग में भाग लेने हेतु विद्यार्थी ऑनलाईन पंजीकरण (Online Registration) जहॉं पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर, किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर कर सकेगा।

9. ऑनलाईन पंजीकरण के उपरांत विद्यार्थी व्यक्तिगत जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी (यदि लागू हो तो), शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड कर ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से निर्धारित कॉउसिलिंग फीस का भुगतान कर सकेगा ।
10. तद्पश्चात विद्यार्थी प्राथमिकता क्रम में अपनी इच्छानुसार अधिक से अधिक संस्था एवं ब्रांच का विकल्प भर सकता हैं।
11. आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के पास निम्नांकित दस्तावेज होना चाहिए।
    - 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र ।
    - अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ) । आवेदन के दिन अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी मान्य नहीं है।
    - सामान्य प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (यदि लागू हो तो, मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ) ।
    - छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक - 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाइस सेंटर से बना निवास प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा)। अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए संबंधित राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
    - स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं) यदि लागू हो तो
    - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) होने का प्रमाण-पत्र (अभिभावक का) यदि लागू हो तो
    - सैनिक (Sainik) होने का प्रमाण-पत्र (अभिभावक का) यदि लागू हो तो
    - निःशक्तता से बाधित (DA) होने संबंधी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो तो
      (1) संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं
      (2) अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर, द्वारा जारी।
12. सीटों का आबंटन केन्द्रीय आनलाईन कांउसिलिंग प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन करते समय विशेष सावधानी रखे। आवेदन में त्रुटि होने पर या गलत जानकारी पाये जाने पर आवेदन/आबंटन निरस्त किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी।
13. आबंटन से पूर्व अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का परीक्षण, दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराना अनिवार्य है। इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है ।
14. कांउसिलिंग के समय अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के लिए प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक संस्थानों को दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों (DVC) के रूप में कार्य करने हेतु चयनित/नियुक्त किया जायेगा।
15. अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
16. अभ्यर्थी द्वारा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग/वर्ग का निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में प्रस्तुत करने में विफल होने पर उस अभ्यर्थी का प्रवर्ग/वर्ग को अनारक्षित/ओपन में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
17. दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाना है। इंटरनेट से प्राप्त की गयी अंकसूची/प्रमाण पत्र भी दस्तावेज परीक्षण हेतु स्वीकार किये जायेंगे।
18. यदि अभ्यर्थी ने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो अभ्यर्थी का प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
19. दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि अभ्यर्थी को लगता है कि अभ्यर्थी ने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिया हैं तो अपने आवेदन को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा ऑनलाईन कन्फर्म करने से पूर्व अभ्यर्थी इसमें बदलाव कर सकते हैं। जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा । एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा अभ्यर्थी आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता।

20. सत्र 2021-22 में ऑनलाईन कॉउंसिलिंग हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है।

क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	रायपुर	0771-2102860
2	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-260289
3	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्याल, जगदलपुर	बस्तर	07782-229439
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर	नारायणपुर	07781300078
6	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर	बिलासपुर	07753-264963
7	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर	बस्तर	07782-229230
8	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी	धमतरी	07722-237618
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548
10	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया	कोरिया	07836-232070
11	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर	जशपुर	07763-220051
12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा	जांजगीर	07817-222456
13	किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़	रायगढ	07762-222737
14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
15	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-224818
16	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर	रायपुर	0771-2423045
17	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक राजनांदगॉव	राजनांदगॉव	07744-226830
18	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़	राजनांदगॉव	07820-234010
19	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	07706-241403
20	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर	कांकेर	07868-222081
21	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर	बीजापुर	07853-220015
22	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा	सुकमा	78791-19090
23	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज	बलरामपुर	98930-96761
24	शासकीय पॉलीटेक्निक, मुंगेली	मुंगेली	94791-76258
25	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	98279-72266
26	इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कोरबा	कोरबा	07759-659874
27	एन.एम.डी.सी., डीएव्ही, पॉलीटेक्निक, जावंगा, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	91318-61324
28	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा	बलौदाबाजार	87704-84081
29	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला	बेमेतरा	99934-88950
30	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोण्डागांव	कोण्डागांव	94063-20245
31	शासकीय पॉलीटेक्निक, सूरजपुर	सूरजपूर	98279-64501
32	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा	कोरबा	79997-86285
33	शासकीय पॉलीटेक्निक, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-291842

21. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को एक निश्चित तिथि को संस्था/ब्रांच में सीटों का आबंटन प्रावीण्यता क्रम में केन्द्रीय आनलाईन प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा।

22. समस्त पाठ्यक्रमों जिनमें प्रवेश का आधार अर्हकारी परीक्षा है, ऐसे समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश मान्यता प्राप्त विभिन्न बोर्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विभिन्न वर्षो में आयोजित परीक्षाओं में प्रदत अंकों को एक समान मानते हुए अभ्यर्थियों को संस्था/ब्रांच आबंटन किया जायेगा।
23. अभ्यर्थी को आबंटन की सूचना SMS के द्वारा दी जाती है । विद्यार्थी Applicant login में जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी एवं पासवर्ड डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) देख सकते है एवं उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
24. विद्यार्थी को संस्था में प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल दस्तोवज एवं उसकी एक सेट फोटोकापी की आवश्यकता होती है।
    - कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया प्रोविजनल एलॉटमेंट लेटर की प्रति ।
    - 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र ।
    - अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची।
    - सामान्य प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड यदि लागू हो तो।
    - पूर्व संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र।
    - गेप प्रमाण-पत्र (यदि अर्हकारी परीक्षा के बाद व्यवधान हुआ है तो)।
    - माइग्रेशन प्रमाण-पत्र यदि लागू हो तो ।
    - छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र। अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए संबंधित राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
    - स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं) यदि लागू हो तो।
    - निःशक्तता प्रमाण पत्र/सैनिक प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र (जो लागू हो)।
    - आधार कार्ड यदि बना हो तो (अनिवार्य नहीं)।
    - बैंक पासबुक की कापी यदि एकॉउंट खुला हो तो ।
    - आय प्रमाण-पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के लिए) ।
    - फोटो पासपोर्ट साईज 03 प्रति।
25. ऑनलाईन संस्था आबंटन के उपरांत, संस्था में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण संबंधित संस्था द्वारा नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रवेश देने वाली संबंधित संस्था की होगी। संबंधित पाठ्क्रम के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर आबंटन निरस्त किया जा सकता है।
26. आबंटित संस्था में दिये गये निर्धारित अवधि तक प्रवेश लेना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो विद्यार्थी का आबंटन स्वमेव निरस्त माना जाता है।
27. अस्थायी आबंटन पत्र एवं प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज को लेकर अभ्यर्थी आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित होगा।
28. आवेदक के संस्था में प्रवेश लेते समय कोविड-19 संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा मानकों का पालन किये जाने हेतु समस्त संस्थाओं के प्राचार्यो/संस्था प्रमुख को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जावेगा :-
    - संस्था परिसर को सेनेटाइज करना अनिवार्य है। आवश्यक होने पर स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया जा सकेगा।
    - प्रत्येक संस्था में प्रवेश कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अभ्यर्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावें।
    - संस्था के मुख्य द्वार पर सेनेटाइजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था समस्त संस्थाओं द्वारा की जायेगी।
    - संस्था परिसर में किसी भी अस्वस्थ व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

- संस्था में जांच के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग परीक्षण में किसी प्रकार की असामान्यता पाये जाने पर या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी होने पर संबंधित अभ्यर्थी के पालक के माध्यम से ही प्रवेश की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जावें। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे स्वस्थ होनें के उपरांत अधिकृत चिकित्सक से स्वास्थ परीक्षण कराकर प्रमाण-पत्र सहित संस्था में उपस्थित हो।
- संस्थाओ में प्रवेश हेतु उपस्थित होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ब्रांचवार पृथक-पृथक कक्ष में बैठने की व्यवस्था की जायेगी। प्रवेश की कार्यवाही ब्रांचवार पृथक कक्षों में की जावें तथा एक बार में 2 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं देवें।
- फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्रित नही होने दी जावें। इसके लिए 2 गज की दूरी पर सर्कल मार्क किये जाकर अभ्यर्थियों की पूर्ण अनुशासन के साथ लाईन में रहनें की व्यवस्था की जावें।
- अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश की संपूर्ण कार्यवाही केवल एक अधिकारी द्वारा एकल खिडकी प्रणाली से की जावें। प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को तुरंत घर जाने हेतु निर्देशित किया जावें।
- प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के आधार पर आवेदकों को पृथक-पृथक कार्य दिवसों में समानुपातिक विभाजन कर प्रवेश हेतु सूचित किया जावेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान संस्था परिसर में आवेदकों का मूव्हमेंट न्यूनतम हो।
- आवेदकों को दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश के लिए संख्या के अनुपात में कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार टीमों का गठन किया जायेगा।
- केवल आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। आवेदकों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा।
- आवेदकों के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के पश्चात् प्राप्त आवेदकों को प्रदाय किए जाने वाले आवेदन पत्र की प्रति के पृष्ठ भाग पर प्रवेश हेतु उपस्थिति के दौरान निर्देश अंकित किए जाने की व्यवस्था होगी।

29. कोविड-19 संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा मानकों का पालन किये जाने हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्र एवं संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों के लिए निर्देश :-
    - आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश हेतु मास्क लगाकर आने की अनिवार्यता होगी।
    - समस्त अभ्यर्थी को स्वयं के साथ मास्क, सेनेटाइजर, पानी की बोतल एवं टिफिन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
    - आवेदकों को संस्था परिसर में दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उनके लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
    - केवल आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। आवेदकों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा।
    - आवेदकों को संस्था परिसर में दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उनके लिए निर्धारित बैठक कक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र मूव्हमेंट की अनुमति नहीं होगी।
30. यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र द्वारा गलत जानकारी देने के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण गलत प्रवेश/आबंटन हो गया है तो प्रवेश/आबंटन रद्द करने का अधिकार संचालनालय/संस्था को होगा।
31. संस्था द्वारा प्रवेश के समय अभ्यर्थियों से पूर्व संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र यदि लागू हो तो एवं चरित्र प्रमाण-पत्र के अलावा कोई भी मूल दस्तावेज जमा नहीं करवाना है। अभ्यर्थी भी उपरोक्त के अलावा अपने मूल दस्तावेज संस्था में जमा नहीं करें।
32. प्रवेश ऑनलाईन कन्फर्म किये जाने पर ही विद्यार्थी का प्रवेश मान्य होता है। प्रवेश ऑनलाईन कन्फर्म किये जाने की एक प्रति अभ्यर्थी अनिवार्य रुप से संस्था से प्राप्त करें।
33. प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् समस्त संस्थाओं में कुछ अभ्यर्थियों के प्रवेश नहीं लेने के कारण एवं प्रथम चरण में आबंटन नहीं होने के कारण रिक्त सीटों की सूची निर्धारित तिथि को प्रदर्शित की जायेगी।

34. प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिये द्वितीय चरण में पुनः वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जाती है, जो प्रथम चरण में थी । इसमें चार प्रकार के अभ्यर्थी हो सकते हैं :

(1) **ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् संस्था में प्रवेश ले चुके हैं** - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में आबंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है एवं प्रवेशित सीट से संतुष्ट है, उन्हे द्वितीय चरण में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित सीट बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है, परन्तु उन्हें भी द्वितीय चरण में पुनः नियमानुसार ऑनलाईन पंजीयन कर आवेदन करना होगा। **दूसरे चरण में सम्मिलित होने पर उनकी पूर्व आबंटित सीट स्वमेव निरस्त हो जायेगी एवं यह आवश्यक नहीं है कि उसे वह सीट पुनः मिले।**

(2) **ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन प्राप्त किये थे परन्तु संस्था में प्रवेश नहीं लिये** - ऐसे अभ्यर्थी की पूर्व आबंटित सीट निरस्त मानी जायेगी एवं इन्हें पुनः द्वितीय चरण में नियमानुसार ऑनलाईन पंजीयन कर आवेदन करना होगा।

(3) **ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में फार्म भरे थे परन्तु आबंटन नहीं हुआ था** - ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें पुनः द्वितीय चरण में नियमानुसार ऑनलाईन पंजीयन कर आवेदन करना होगा। यदि अभ्यर्थी विकल्प नहीं बदलते हैं तो उन्हें पंजीयन कर आवेदन करने एवं काउंसिलिंग फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के द्वितीय चरण की प्रक्रिया में शामिल होंगे।

(4) **ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में पंजीयन नहीं करा पाये थे** - ऐसे अभ्यर्थी नया पंजीयन कर आवेदन कर सकते है। जो अभ्यर्थी पंजीयन कराये थे परंतु आवेदन नही कर सके थे वे भी आवेदन कर सकते है।

35. द्वितीय/उच्च चरण में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी आबंटन से पूर्व दस्तावेजों का परीक्षण, दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराना अनिवार्य है। इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा ।

36. द्वितीय चरण में विकल्प बदलने वाले अभ्यर्थियों, नये अभ्यर्थियों एवं प्रथम चरण में आबंटन से वंचित अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों पर आबंटन सूची निर्धारित तिथि को जारी की जायेगी। जिसे वेबसाइट में अवलोकन किया जा सकता है ।

37. द्वितीय चरण में आबंटित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेश लेना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा। जो अभ्यर्थी पूर्व के चरण में किसी अन्य संस्था में प्रवेश ले चुके थे, उन्हें तात्कालिक रूप से स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के बिना भी प्रवेश लेने की अनुमति है। परंतु बाद में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

38. आवश्यकता एवं समयानुसार आनलाईन कांउसिलिंग के दो से अधिक मुख्य चरण होने पर प्रवेश प्रक्रिया द्वितीय चरण के अनुरुप होगी।

39. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

40. द्वितीय/उच्च चरण की कॉउंसिलिंग पूर्ण होने के उपरांत रिक्त रह गई सीटो पर प्रवेश हेतु **संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग** निम्नानुसार आयोजित की जायेगी।

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय/उच्च चरण की कॉउंसिलिंग के उपरांत केटेगरी वाईज रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट www.cgdte.cgstate.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।
- संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथियों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग के लिए संचालनालय की ऑनलाईन कॉउंसिलिंग के लिए निर्धारित वेबसाईट पर निर्धारित फीस का भुगतान कर ऑनलाईन पंजीकरण (Registration) कर आवेदन कर सकते है।
- अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि पंजीयन करते समय वह स्वयं का मोबाईल नंबर अंकित करे, क्योंकि इसी मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी प्रवेश के लिए आवश्यक होगा।
- अभ्यर्थी को किसी एक संस्था हेतु ही अपने विकल्प भरने की छूट होगी। अभ्यर्थी जिस संस्था का विकल्प भर रहें है, उस संस्था में उपलब्ध अधिक से अधिक ब्रांच का विकल्प भरे। अभ्यर्थी जिन ब्रांच के लिए विकल्प भरेंगे, उन्हीं ब्रांच हेतु आवंटन किए जाने के लिए विचार किया जा सकेगा।

- संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग हेतु आवेदन करने पर यदि किसी विद्यार्थी द्वारा किसी संस्था में प्रवेश लिया हुआ है, तो वह प्रवेश तब तक निरस्त नहीं होगा जब तक की विद्यार्थी संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग में प्रवेश नहीं लेगा।
- दस्तावेज परीक्षण करवाने की अंतिम निर्धारित तिथि की समाप्ति के उपरांत संचालनालय द्वारा संबंधित संस्थाओं को ब्रांचवार प्रावीण्य सूची उपलब्ध करवाई जायेगी।
- संचालनालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई मेरिट सूची के अनुसार ही संस्थाओं द्वारा संस्था स्तर पर आबंटन कर प्रवेश देने की कार्यवाही प्रवेश देने की निर्धारित अंतिम तिथि तक की जा सकेगी।
- विद्यार्थी का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व ऑनलाईन कन्फर्म करवाना अनिवार्य होता है। इस हेतु प्रवेश कन्फर्म करने पर विद्यार्थियों का पासवर्ड एवं एसएमएस द्वारा मोबाईल पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करने पर ही प्रवेश कन्फर्म किया जाता है।
- संस्थावार स्तर की कॉउंसिलिंग में किसी संस्था में प्रवेश लेने पर उसके द्वारा लिया गया पूर्व संस्था का प्रवेश स्वमेव ही निरस्त हो जावेगा।

41. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित कॉउंसिलिंग की अंतिम तिथि तक ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
15/9/21